

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

कमांक एफ.2()राजुवास/वैलफेयर/2012-13/ 1188-1199

दिनांक:- 6/12/12


आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक एफ.2()राजुवास/वैलफेयर/2012-13/2448 दिनांक 31.7.2012 के द्वारा कर्मचारी कल्याण योजना 2012 लागू की गई । इस योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु प्रार्थना पत्र व घोषणा पत्र (undertaking) प्रफोरमा सलंगन कर भिजवाया जा रहा है । जो कर्मचारी ऋण लेने हेतु इच्छुक हो, जो इस कार्यालय को ऋण हेतु प्रार्थना पत्र व घोषणा पत्र (undertaking) प्रफोरमा भरकर संबंधित आहरण व वितरण अधिकारी के मार्फत भिजवाया जा सकता है ताकि ऋण हेतु वरियता सूची बनाई जा सके । ऋण की सीमा व शर्तें उक्त वार्षिक आदेश के अनुसार ही होगी ।

-sd-
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. निजि सचिव, माननीय कुलपति, राजुवास, बीकानेर ।
2. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/ईन्वार्ज/आहरण व वितरण अधिकारी, राजुवास, बीकानेर ।
3. कोषाधिकारी, राजुवास, बीकानेर ।
4. प्रभारी, पी0एफ0,शाखा, राजुवास, बीकानेर ।


वित्त नियंत्रक

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर कर्मचारी कल्याण योजना 2012

(नियम 6)

ऋण हेतु प्रार्थना पत्र

कर्मचारी कोड संख्या :-

सदस्यता क्रमांक :-

1. कर्मचारी का नाम व पद :-
2. पिता का नाम :-
3. वर्तमान पदस्थापित विभाग का नाम :-
4. पदस्थापन- स्थायी/एक्स केडर :-
5. नियुक्ति दिनांक :-
6. सेवानिवृत्ति दिनांक :-
7. ऋण लेने का कारण :-
8. ऋण की वांछित राशि :-
9. पूर्व बकाया ऋण हो तो उसका विवरण लेने की दिनांक :-
10. ऋण की किस्त राशि :-
11. वेतन एवं कटौतियां (पे-स्लिप की प्रतिलिपि सलंगन करें।)

?

मैं घोषणा करता हूँ कि ऋण की राशि जिस प्रयोजन के लिए ली गई उसी पर व्यय की जायेगी। मैं आहरण एवं वितरण अधिकारी को मैं मासिक वेतन से ऋण की किस्तों की कटौती हेतु अधिकृत करता हूँ।

दिनांक :-

कर्मचारी के हस्ताक्षर

दो कर्मचारी की जमानत

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. हस्ताक्षर :- | 1. हस्ताक्षर :- |
| 2. नाम :- | 2. नाम :- |
| 3. पद :- | 3. पद :- |
| 4. नियुक्ति दिनांक :- | 4. नियुक्ति दिनांक :- |
| 5. सेवानिवृत्ति दिनांक :- | 5. सेवानिवृत्ति दिनांक :- |

श्रीमान् वित्त नियंत्रक, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को टिप्पणी के साथ प्रेषित है कि :-

1. प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी का अंशदान राशि पूर्ण जमा हो गई है।
2. कर्मचारी द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही है।
3. कर्मचारी के वेतन में से प्रतिमाह किस्त एवं ब्याज की कटौती करके भेजी जावेगी।
4. कर्मचारी द्वारा ऋण हेतु लिखा गया कारण सत्य है एवं इसके लिए कर्मचारी कल्याण कोष, 2012 के नियम 6 एवं विनियम 5 के लिए सिफारिश की जाती है।
5. कर्मचारी की सकल वेतन से कटौतियां साठ प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

आहरण एवं वितरण अधिकारी

वित्त नियंत्रक कार्यालय हेतु

1. ऋण की स्वीकृत राशि :-
2. किश्तों की संख्या :-
3. प्रतिमाह किश्त की कटौती राशि :-
4. प्रतिमाह ऋण की स्वीकृत राशि पर ब्याज की राशि :-

आदेश हेतु प्रस्तुत है :-

संबंधित लिपिक :- सहायक लेखाधिकारी

स्वीकृत की जाती है।

वित्तनियंत्रक

ऋण की शर्तें :-

1. ऋण की कटौती प्रतिमाह स्वीकृत की दिनांक से दूसरे माह से करानी होगी।
2. ऋण की किश्त राशि समय पर जमा नहीं होने पर पैन्ल ब्याज वसूल किया जायेगा।
3. ऋण की ब्याज राशि किश्त के साथ प्रतिमाह वसूल की जावेगी।

